रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.आ. 68(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1948 (अ) तारीख 17 जुलाई, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, किसी भी पणधारियों से उक्त अधिसूचना के उत्तर में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

खपरवास वन्यजीव अभयारण्य लगभग 83 हेक्टेयर की आर्द्रभूमि (दिल्ली के पश्चिम की ओर लगभग 80 किलोमीटर) हरियाणा राज्य में स्थित है इसमें प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या और किस्में आकृष्ट होती हैं, ये लगभग भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ;

और, खपरवास वन्यजीव अभयारण्य ये अवि-प्राणियों अर्थात् ओरियंटल हनी बुजार्ड, ब्लैक काइट, लाल सिर वाले गिद्ध, शिकारा, बड़ा चित्तीदार गरूड़, बूटिड वारबलर, कर्स्टड लार्क, ग्रेलाग गूज, रूडी शैलडक, चित्तीदार बिल्ड बत्तख, फेरुजीनस पोचार्ड, ग्रेट इरग्रेट, पीला बिटन, लाल बैटल्ड लैपविंग, पेंटिड स्टोर्क, वूली नेक्ड स्टार्क, ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया, लाफिंग कबूतर, पीले पैर वाला हरा कबूतर, लाल गर्दन वाला बाज़, छोटा प्रेटिनकाल, पीले पैर वाला गुल, सफेद वैगटेल, नीला थ्रोट, पाइड बुशार्ड, सिंद गौरैया, ब्लैक फ्रैंकोलिन, रेड वेन्टिड बुलबुल, ब्लैक विंगड स्टिल्ट, डनलिन, बरान उल्लू, ओरियंटल वाइट आई के लिए महत्वपूर्ण है;

और, खपरवास वन्यजीव अभयारण्य अपनी वनस्पतियों अर्थात् *अकोरस कलामस, एल्यूम सिपा, कैरम कोपटिकम, नीरयम ओडोरम, रियूवोल्फिया सरपनटाइन, अमारफोफाल्स कैंपानुलाटस, एक्लिप्टा अलवा, ओरोसाइलम इंडिकम, केनाबिस सातिवा, डायोसपाइरोस मेलनोजाइनोल, केसिया फिसटुला, डालब्रेजिया सिसू, मैंथा स्पिकटा, स्ट्रिकनोस मुक्सावोमिका, मार्टिनिया अनुवा, फिक्स ग्लोमेरेटा, पाइनस रोक्सबुर्घी, सिंबोपोगेन मार्टिनी, साइटरस मेडिका, अलोई बारबेडिनिसस, जिंजर आफिसेनेल, ट्राइबुलेस टैरिसटेरिस* आदि के लिए महत्वपूर्ण है;

और, खपरवास वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में खपरवास वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को खपरवास वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन खपरवास वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक के क्षेत्र में लगभग 38 हेक्टेयर क्षेत्र से मिलकर बना है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर (मानचित्र की निर्देश बिंदु संख्या 6) 28º33'56.215" उ0 अक्षांश और 76º32'1.406" पूर्व देशांतर, पश्चिम की ओर (मानचित्र की निर्देश बिंदु संख्या 1) 28º33'50.439" उ0 अक्षांश और 76º31'14.189" पूर्व देशांतर; उत्तर की ओर (मानचित्र की निर्देश बिंदु संख्या 8) 28º34'13.555" उ0 अक्षांश और 76º31'39.458" पूर्व देशांतर; और दक्षिण की ओर (मानचित्र की निर्देश बिंदु संख्या 3) 28º33'28.596" उ0 अक्षांश और 76º31'35.075" पूर्व देशांतर से घिरा हुआ है ।

(3) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** पर उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक और खपरवास वन्यजीव अभयारण्य के अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध-II** पर उपाबद्ध हैं ।

(5) वह ग्राम जिनके क्षेत्र या भाग पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आ रहे हैं, सूरजगढ़, चुछकवास, खेतावास और बिलोचपुरा **उपाबंध-III** पर उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आचंलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 25, सं0 34, और सं. 39 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(ii) वर्षा जल संचय, और

(iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, पंजाब सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण लागू नियमों के अनुसार विनियमित होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान समय-समय पर यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 343(अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और नियमों तथा तदधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां –**

(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

(13) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण- पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

क. आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां कोई निर्माण की अनुमति दी जाएगी ।

ख. कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर कोई निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

(14). अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	अनुपचारित ठोस अपशिष्ट का प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में बहिस्राव ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	मध्यम घनत्व फाइबर/ पार्टिकल बोर्ड इकाइयों/ संयंत्रों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप :		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : (ख) परन्तु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा। (ग) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
12.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
15.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा।
16.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

24.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
27.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	सुरक्षा बलों के शिविर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पत्थरों, कंकरों और रेत का नदी की तलहटी से संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप :	
33.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
34.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
38.	वनस्पति बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
39.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
40.	कृषि संक्रियाएं जिसके अंतर्गत पौधा रोपण, उद्यान कृषि और ओरकार्डस भी हैं।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
41.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) उपायुक्त, झज्जर —अध्यक्ष;

(ख) अपर उपायुक्त, झज्जर —सदस्य;

(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - —सदस्य;

(घ) प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड —सदस्य;

(ङ) जिला नगर योजनाकर्ता, झज्जर —सदस्य;

(च)	हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला परिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ	—सदस्य;
(छ)	प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी, रोहतक	—सदस्य;
(ज)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	—सदस्य;
(झ)	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) झज्जर वन प्रभाग	—सदस्य सचिव ।

निर्देश निबंधन -

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा।

(3) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(5) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(6) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(7) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(8) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(9) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/34/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

खपरवास वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

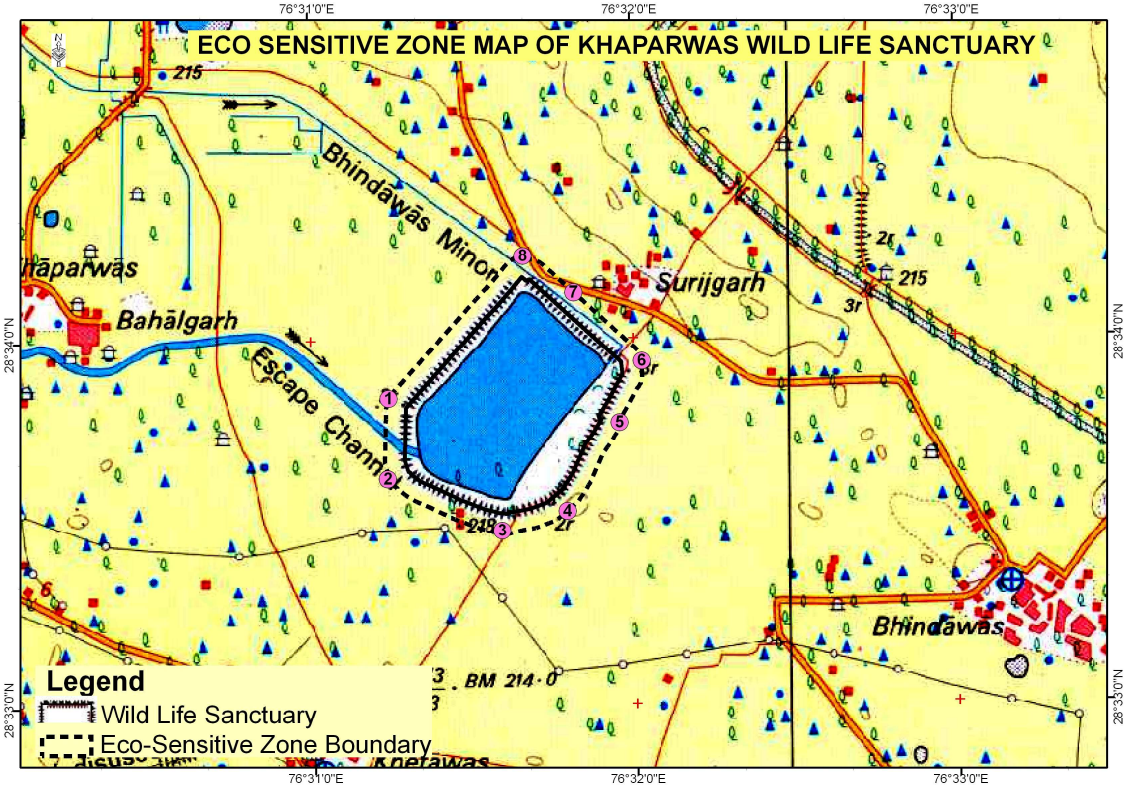

उपाबंध II

खपरवास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा की बाहरी सीमा को उपदर्शित करते हुए मुख्य बिंदुओं के निर्देशांक

पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक		
आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	76 31' 14.189" पू	28 33' 50.439" उ
2	76 31' 13.884" पू	28 33' 37.226" उ
3	76 31' 35.075" पू	28 33' 28.596" उ
4	76 31' 47.276" पू	28 33' 31.705" उ
5	76 31' 57.138" पू	28 33' 46.142" उ
6	76 32' 1.406" पू	28 33' 56.215" उ
7	76 31' 48.847" पू	28 34' 7.512" उ
8	76 31' 39.458" पू	28 34' 13.555" उ

खपरवास वन्यजीव अभयारण्य का निर्देशांक

आई डी	देशांतर	अक्षांश
1ए	76⁰ 31' 17.361" पू	28⁰ 33' 48.973" उ
2ए	76⁰ 31' 17.589" पू	28⁰ 33' 38.419" उ
3ए	76⁰ 31' 35.885" पू	28⁰ 33' 31.18" उ
4ए	76⁰ 31' 45.228" पू	28⁰ 33' 34.758" उ
5ए	76⁰ 31' 53.863" पू	28⁰ 33' 47.892" उ
6ए	76⁰ 31' 57.585" पू	28⁰ 33' 86.057" उ
7ए	76⁰ 31' 46.051" पू	28⁰ 34' 5.23" उ
8ए	76⁰ 31' 39.292" पू	28⁰ 34' 10.08" उ

उपाबंध-III

हरियाणा के झज्जर जिले में खपरवास वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

स्थान	देशांतर	अक्षांश
सूरजगढ़	28.34.07.69	76.31.59.55
चुछकवास	28.36.06.91	76.30.38.49
खेतावास	28.32.51.95	76.31.04.15
बिलोचपुरा	28.32.42.52	76.32.44.12

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2017

S.O. 68(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1948 (E), dated the 17th July, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, no objections and suggestions received from stakeholders in response to the draft notification;

WHEREAS, the Khaparwas Wildlife Sanctuary is of about 83 hectares situated in the State of Haryana, a wetland (about 80 kilometers from West of Delhi) attracts a large number and variety of migratory birds, and at a distance of about 1.5 kilometers from the Bhindawas Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the Khaparwas Wildlife Sanctuary is important and known for its Avi-fauna i.e. Oriental honey buzzard, Black kite, Red headed vulture, Shikra, Greater spotted eagle, Booted warbler, crested lark, Graylag goose, Ruddy Shelduck, Spot-wbilled Duck, Ferruginous Pochard, Great ergret, yellow bitten, Red-wattled lapwing, Painted stork, Woolly necked stork, Grey breasted Prinia, Laughing dove, Yello-footed green pigeon, Red-necked falcon, Small pratincole, Yellow legged gull, White wagtail, Blue throat, Pied buschat, Sind sparrow, Black Francolin, Red vented bulbul, Black winged stilt, Dunlin, Barn owl, Oriental white eye;

AND WHEREAS, the Khaparwas Wildlife Sanctuary is important for its flora i.e. *Acorus calamus*, *Allium cepa*, *Carum copticum*, *Nerium odorum*, *Reauwolfia serpentine*, *Amarphophallus Campanulatus*, *Eclipta alba*, *Oroxylum indicum*, *Cannabis sativa*, *Diospyros melanoxylon*, *Cassia fistula*, *Dalbergia sissoo*, *Mentha spicata*, *Strychnos muxvomica*, *Martynia annua*, *Ficus glomerata*, *Pinus roxburghii*, *Cymbopogon martini*, *Citrus medica*, *Aloe barbadensis*, *Ginger officinale*, *Tribulus terrestris* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Khaparwas Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies upto 100 meters around the Khaparwas Wildlife Sanctuary in the State of Haryana as "Khaparwas Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone" (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is upto 100 meters all around the boundary of the protected area of the Khaparwas Wildlife Sanctuary comprising an area of 38 hectares approximately.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 28º33'56.215"N latitude and 76º32'1.406"E longitude towards East (Reference point No.6 of map); 28º33'50.439"N latitude and 76º31'14.189"E longitude towards west (Reference point No.1 of map); 28º34'13.555"N latitude and 76º31'39.458"E longitude towards north (Reference point No.8 of map) and 28º33'28.596"N latitude and 76º31'35.075"E longitude towards south (Reference point No.3 of map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure I**.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone and the Khaparwas Wildlife Sanctuary with its latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(5) The villages whose area or parts thereof falling within the Eco-sensitive Zone are, Surajgarh, Chuchhakwas, Khetawas and Bilochpura is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(ix) Haryana State Pollution Control Board;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the

residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 25**,** 34 and 39 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution,

(ii) Rainwater harvesting, and

(iii) Cottage industries including village artisans, etc.:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Haryana in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Haryana.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new constructions of hotels and resorts within the Eco-sensitive Zone shall regulated as per applicable rules;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government and the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed be established within ESZ vide Central Pollution Board's categorisation.

(13) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

14. The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
	A. Prohibited Activities:	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the CPCB Classification including agro-based small scale industries will be regulated as per regulations.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting-up of Medium Density Fibre/ Particle Board Units/ Plants.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities:	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Regulated under applicable laws.
13.	Uses of plastic carry bags.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Setting-up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
24.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

25.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
29.	Collection of boulders, gravel and sand from the river beds.	Regulated under applicable laws.
30.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the units of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100% imported wood stock.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities:	
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
38.	Vegetative fencing.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
40.	Agriculture operations including plantation, horticulture and orchards.	Permitted under applicable laws.
41.	Agro Forestry.	Promoted under applicable laws.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) Deputy Commissioner, Jhajjar - Chairman;

(b) Additional Deputy Commissioner, Jhajjar -Member;

(c) a representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Haryana for a term of three year – Member;

(d) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board- Member;

(e) District Town Planner, Jhajjar - Member;

(f) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Haryana - Member;

(g) Divisional Wildlife Officer, Rohtak – Member;

(h) Representative of State Bio Diversity Board- Member;

(i) Deputy Conservator of Forests (Territorial) Jahajjar – Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The tenure of the Monitoring Committee is for three years.

(3) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of Notification.

(4) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(5) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(6) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner (s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(8) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per proforma appended at **Annexure IV**.

(9) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/34/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary, Haryana.

Annexure II

The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Khaparwas Wildlife Sanctuary, Haryana

COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE		
Id	**Longitude**	**Latitude**
1	76 31' 14.189" E	28 33' 50.439" N
2	76 31' 13.884" E	28 33' 37.226" N
3	76 31' 35.075" E	28 33' 28.596" N
4	76 31' 47.276" E	28 33' 31.705" N
5	76 31' 57.138" E	28 33' 46.142" N
6	76 32' 1.406" E	28 33' 56.215" N
7	76 31' 48.847" E	28 34' 7.512" N
8	76 31' 39.458" E	28 34' 13.555" N

COORDINATES OF KHAPARWAS WILDLIFE SANCTUARY

ID	Longitude	Latitude
1A	76^0 31’ 17.361” E	28^0 33’ 48.973” N
2A	76^0 31’ 17.589” E	28^0 33’ 38.419” N
3A	76^0 31’ 35.885” E	28^0 33’ 31.18” N
4A	76^0 31’ 45.228” E	28^0 33’ 34.758” N

5A	76^0 31' 53.863" E	28^0 33' 47.892" N
6A	76^0 31' 57.585" E	28^0 33' 86.057" N
7A	76^0 31' 46.051" E	28^0 34' 5.23" N
8A	76^0 31' 39.292" E	28^0 34' 10.08" N

Annexure III

List of Villages falling in the Eco-sensitive Zone of Khaparwas Wildlife Sanctuary in Jhajjar District of Haryana

Location	Longitude	Latitude
Surajgarh	28.34.07.69	76.31.59.55
Chuchhakwas	28.36.06.91	76.30.38.49
Khetawas	28.32.51.95	76.31.04.15
Bilochpura	28.32.42.52	76.32.44.12

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.01.11 15:28:21 +05'30'